पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprise)

आई.एस.ओ 9001:2015 प्रमाणित कंपनी • ISO 9001:2015 Certified Company
महारत्न कंपनी • A Maharatna Company

पश्चिम क्षेत्र -I / WESTERN REGION - I

Ref. No. WRTS-I/PMS/340/641

Dated. 21.12.2020

To,
Shri Hemansh,
G203, shripad antalia ,
Pal adajan surat, Pin:395009, Gujarat
Mob no. +91-9726609038

Subject – Information under the RTI Act, 2005

This has reference to your RTI Application No. : PGCIL/R/E/20/00525, dated: 10/12/2020 received online under the Right to Information Act, 2005.

Information sought under RTI act 2005 Regarding : INITIAL ENVIRONMENT ASSESMENT REPORT for 800kv Raigrah-Pugalur HVDC Bipole link(Sept-2016), On page no - 40,41- villages of Chhattisgadh and Maharastra, Village – Teligundaru, Tehsil – Patan,Dist – Durg, State - Chhattisgadh

Sr. No.	Information sought	Reply
1.	Annexure sheet for land compensation for tower and row corridor	As per CG state government land compensation order "राजस्व एव आपदा प्रबंधन विभाग, छ. ग. शासन" dated 20.02.2015 clause 6 (copy enclosed as Annexure-I), the compensation towards use of land for installation of tower and land below line corridor shall be evaluated and disbursed by Revenue Dept to affected owners, so Information asked by you is not available in our office.
2.	Letter copy from Revenue dept. to PGCIL for determination land value.	Following letters received from revenue department to submit estimated land compensation amount in account of SDO (R) Patan for disbursement of compensation i) Letter No. 148/प्र-02/अ.वि.अ./2019 पाटन dated 24.01.2019 (copy attached as **Annexure-II**) ii) Letter No. 2234/प्र-02/अ.वि.अ./2020 पाटन dated 10.11.2020 (copy attached as **Annexure-III**)"
3.	List of landowners with tower and Row corridor measurement.	As per CG state government land compensation order "राजस्व एव आपदा प्रबंधन विभाग, छ. ग. शासन" dated 20.02.2015 clause 6 (copy enclosed as Annexure-I), the compensation towards use of land for installation of tower and land below line corridor shall be evaluated and disbursed by Revenue Dept to affected owners, so Information asked by you is not available in our office.

21/12/2020

सम्प्रीति नगरनारी, रिंग रोड़ - डाकघर ,उप्पलवाडी ,नागपुर –026 440
Samprti Nagar, Nari Ring Road, P O Uppalwadi, Nagpur - 440026, दूरभाष / Phone : 0712-2641478-79
केन्द्रीय कार्यालय"सौदामिनी" ; प्लॉट नंबर 2, सेक्टर -29, गुरुग्राम -122001 (हरियाणा) दूरभाष (0124-2571700-719
Corporate Office: "Saudamini", Plot No. 2, Sector-29, Gurugram-122001 (Haryana) Tel : 0124-2571700-719
पंजीकृत कार्यालय: बी -9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली -110 016, दूरभाष :011-26560112, 26560121, 26564812, 26564892, CIN : L40101DL1989GOI038121
Registered Office: B-9, Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi-110 016, Tel :011-26560112, 26560121, 26564812, 26564892, CIN : L40101DL1989GOI038121
Website: www.powergridindia.com

(In continuation to letter ref. no. WRTS-I/PMS/340/ dated: 21.12.2020)

The first appeal, if any, against the reply of PIO may be made to the first appellate authority within 30 days of receipt of reply of PIO.

Address of the Appellate Authority:
Shri. S. Ravindar Kumar,
Executive Director WR-I
Power Grid Corporation of India Limited,
Western Region-I, Sampriti Nagar,
Nari Ring Road, Post –Uppalwadi, Nagpur-440026.
Phone No - 0712-2641470, Email id: srkumar@powergridindia.com

Your's faithfully,

21/12/2020

(Pankaj Dalal)
Public Information Officer
POWERGRID, WR-I, Nagpur
Phone No.- 0712-2641484
Email ID:pankajdalal@powergridindia.com

Copy to: 1) Executive Director, WR-I
2) Sr. GM PMS
3) Sr.DGM- Durg

Annexure-I

छत्तीसगढ़ शासन
ऊर्जा विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

क्रमांकः 557/पारे.ला.स्था./भूमिमुआवजा/2015/13/2 नया रायपुर, दिनांक 27.02.2015

प्रति,

1. प्रबंध निदेशक
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन/पारेषण/वितरण कंपनी मर्यादित,
डंगनिया, रायपुर

2. कार्यपालक निदेशक
पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड
सीएसआईडीसी कमर्शियल काम्प्लेक्स रिंग रोड, नं.1
महादेवघाट रोड, रायपुर

विषयः– राज्य में विद्युत पारेषण लाइनों की स्थापना अंतर्गत टॉवरों की स्थापना से प्रभावित भूमि हेतु मुआवजा के भुगतान के संबंध में।

संदर्भः– रा.एवं आ. प्र.वि. का आदेश क्र. एफ7-7/सात-1/2014 दि. 20 फरवरी 2015

विषयांतर्गत राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी संदर्भित आदेश दिनांक 20 फरवरी 2015 का अवलोकन करने का अनुरोध है। संदर्भित आदेश की कंडिका 4 में जनहित को ध्यान में रखकर शासन द्वारा प्रदेश में 132 केव्ही या उससे अधिक क्षमता के विद्युत टॉवर स्थापना तथा विद्युत पारेषण हेतु टॉवर लाइन बिछाने के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि की क्षतिपूर्ति के संबंध में शासन द्वारा लिए गए निर्णय का उल्लेख है।

प्रकरण में मुझे संदर्भित आदेश की प्रति नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही तथा शासन आदेश पर पालन हेतु प्रेषित करने के निर्देश है।

तदानुसार आदेश की प्रति पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः– यथोपरि।

27/2/15

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
ऊर्जा विभाग

RPRHN / NO. ...
Dt. 3.3.15

उपमहाप्रबंधक (भू०एवं०स०)

EDO
3.3.15

श्री विनोद
(TBCB)

सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आपूर्ति दस्तावेज / अभिलेख की सत्य प्रतिलिपी / True Copy of the document/record supplied under RTI Act.
21/12/20
पंकज दलाल / Pankaj Dalal
जन सूचना अधिकारी / Public Information Officer
पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड / Power Grid Corporation of India Ltd.
पश्चिम क्षेत्र-1 / Western-Regiion-1
नागपुर / Nagpur

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

//आदेश//

20 FEB 2015

नया रायपुर, दिनांक फरवरी, 2015

क्रमांकः एफ 7–7/सात–1/2014 – प्रदेश में राज्य गठन के बाद विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए शासन के द्वारा कई तरह की सुविधाऐं प्रदान की गई है, जिसके कारण राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्टेट सेक्टर, सेन्ट्रल सेक्टर तथा नीजि सेक्टर में काफी संख्या में विद्युत संयत्रों की स्थापना हो रही है । इन विद्युत संयत्रों से उत्पादित विद्युत का उपयोग राज्य के भीतर तथा राज्य के बाहर किया जावेगा, जिसके लिए विद्युत पारेषण प्रणाली विकसित करने तथा विद्युत उप केन्द्र स्थापित करने की कार्यवाही की जावेगी । विद्युत संयत्रों में उत्पादित विद्युत को पावर ग्रिड तक पहुंचाने के लिए विभिन्न स्थानों पर विभिन्न क्षमताओं की विद्युत पारेषण लाईन स्थापित की जावेगी ।

2/ विद्युत उप केन्द्र की स्थापना के लिए भूमि की व्यवस्था करने हेतु भूमि अर्जन करने एवं मुआवजा भुगतान करने का प्रावधान है, लेकिन विद्युत पारेषण के लिए स्थापित किये जाने वाले टॉवर तथा टॉवर लाईन बिछाने हेतु उपयोग में लाई जाने वाली भूमि के भू–अर्जन तथा मुआवजा भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है । वर्तमान में टॉवर तथा लाईन की स्थापना इलेक्ट्रीसिटी एक्ट– 2003 तथा इण्डियन टेलीग्राफ एक्ट–1885 के प्रावधानों के तहत की जाती है। इलेक्ट्रीसिटी एक्ट– 2003 की धारा–164 में यह प्रावधान है कि राज्य शासन लिखित आदेश के द्वारा विद्युत लाईन स्थापना करने या विद्युत पारेषण लाईन बिछाने के उद्देश्य से किसी अधिकारी को उन अधिकारों से सशक्त कर सकती है, जो इण्डियन टेलीग्राफ एक्ट– 1885 के तहत टेलीग्राफ लाईन बिछाने के लिए टेलीग्राफ अथॉरिटी को प्राप्त है। इण्डियन टेलीग्राफ एक्ट की धारा–10 में यह प्रावधान है, कि टेलीग्राफ अथॉरिटी को यह अधिकार होगा, कि वह किसी भी अचल सम्पत्ति पर टेलीग्राफ लाईन बिछा सकता है। इसके लिए शासन के द्वारा ऐसे अचल सम्पत्ति पर केवल उपयोग का अधिकार प्राप्त किया जावेगा । ऐसे अधिकार के उपयोग के दौरान यदि सम्पत्ति को कोई क्षति होती है, तो उसका पूर्ण क्षतिपूर्ति का भुगतान हितबद्ध व्यक्ति को किया जावेगा । अधिनियम की धारा 16 में टेलीग्राफ अथॉरिटी को प्राप्त अधिकार को किसी व्यक्ति के द्वारा रोका जाता है, तो उसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा– 188 के तहत अपराध माना गया है ।

3/ इण्डियन टेलीग्राफ एक्ट– 1885 काफी पुराना अधिनियम है। उक्त अधिनियम जब प्रभावशील किया गया, तब छोटी–छोटी टेलीफोन की लाईने नीजि भूमि के उपर बिछाई जाती थी, जिससे भूमिस्वामी को कोई असुविधा नहीं होती थी, लेकिन अब विद्युत पारेषण हेतु बड़ी क्षमता की बड़ी–बड़ी विद्युत टॉवर स्थापित किये जाते है तथा टॉवर लाईनें बिछाई जाती है, जिसके नीचे की भूमि पूरी तरह अनुपयोगी हो जाती है, जिससे भूमिस्वामी को काफी नुकसान होता है तथा बिना किसी मुआवजा दिये विद्युत टॉवर बनाने तथा लाईन बिछाने में जन विरोध की स्थिति निर्मित होती है । इस तरह की स्थितियां राज्य के कई क्षेत्रों में देखने को मिल रही है, जिससे राज्य का विकास प्रभावित होने की संभावना बन गई है ।

सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आपूर्ति दस्तावेज/अभिलेख की सत्य प्रतिलिपी/True Copy of the document/record supplied under RTI Act.

पंकज दलाल/Pankaj Dalal
जन सूचना अधिकारी/Public Information Officer
पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड/
Power Grid Corporation of India Ltd.
Western Region-1

(3)

4/ उपरोक्त स्थिति पर शासन के द्वारा गंभीरतापूर्वक विचार किया गया । तद्नुसार जनहित को ध्यान में रखकर शासन द्वारा प्रदेश में 132 के.व्ही. या उससे अधिक क्षमता के विद्युत टॉवर स्थापना तथा विद्युत पारेषण हेतु टॉवर लाईन बिछाने के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि के क्षतिपूर्ति के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :–

1. भूमि पर प्रवेश से हुई क्षति के लिए दी जाने वाली क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त भूमिस्वामी को टॉवर की स्थापना हेतु उपयोग में लाई गई भूमि के क्षेत्रफल के प्रचलित बाजार मूल्य का 50 प्रतिशत क्षतिपूर्ति दी जावेगी ।
2. विद्युत लाईन के नीचे टावर के दोनों ओर के बाहरी तारों के बीच आच्छादित भूमि के क्षेत्रफल के बाजार मूल्य का 20 प्रतिशत क्षतिपूर्ति दी जाये ।
3. उपरोक्तानुसार दी जाने वाली राशि मात्र क्षतिपूर्ति होगी । भूमि पूर्ववत भूमिस्वामी के नाम पर भूमिस्वामी हक में दर्ज रहेगी ।
4. किसी भी नियम में अन्यथा उपबंधित होने पर भी कृषि भूमि के लिये क्षतिपूर्ति कृषि भूमि के प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर तथा गैर कृषि भूमि की क्षति उसके लिये प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर देय होगी ।
5. यह क्षतिपूर्ति केवल विद्युत पारेषण लाईन के लिये देय होगी । इसके अंतर्गत विद्युत वितरण लाईन शामिल नहीं है ।

5/ क्षेत्रफल की गणना ऊर्जा एवं राजस्व अमले द्वारा प्रभावित कृषक/व्यक्ति की उपस्थिति में की जावेगी ।

6/ क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण तथा भुगतान संबंधित को भू–अर्जन अधिकारी द्वारा किया जावेगा ।

7/ यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.आर. पिस्दा)
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ0 क्रमांक एफ 7–7/सात–1/2014 नया रायपुर, दिनांक फरवरी, 2015

20 FEB 2015

प्रतिलिपि–

1. विशेष सहायक, मान0 मंत्रीजी छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर ।
2. ✓ प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर को उनकी टीप क्रमांक 1699 दिनांक 03 मई 2014 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।
3. आयुक्त, रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/सरगुजा एवं बस्तर संभाग, छत्तीसगढ़ ।
4. आयुक्त/संचालक, भू–अभिलेख, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
5. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन 19/2/2015
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आपूर्ति
दस्तावेज/अभिलेख की सत्य प्रतिलिपी / True Copy
of the document/record supplied under RTI Act.

पंकज दलाल / Pankaj Dalal
जन सूचना अधिकारी / Public Information Officer
पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड /
Power Grid Corporation of India Ltd.
पश्चिम क्षेत्र-1 / Western-Region-1
नागपुर / Nagpur

Annexure-II

//कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू–अर्जन अधिकारी पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)//

ज्ञापन

क्र./148/प्र.02/अ.वि.अ./2019 पाटन, दिनांक 24/01/2019

प्रति,

प्रबंधक
पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इडिया लिमिटेड दुर्ग (छ.ग.)

विषय :– 800 के.व्ही. रायगढ़ से पुगलुर विधुत लाईन अंतर्गत टावर स्थापना व तार के नीचे प्रभावित होने वाले भूमि का मुआवजा राशि जमा करने बाबत्।

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक 2974 दिनांक 17/10/2018।

——0——

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दुर्ग द्वारा निर्माणाधीन 800 के.व्ही. एचवीडीसी. रायगढ़ (छ.ग.) से पुगलुर (कर्नाटक) विद्युत लाईन में तहसील पाटन के अंतर्गत आने वाले टावरों को अधिकाश कार्य किया जा रहा है, परन्तु कृषकों को छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधक विभाग मंत्रालय नया रायपुर के संशोधित आदेश दिनांक 01/06/2016 के तहत टावरों से प्रभावित भूमि का 85 प्रतिशत एवं तार के नीचे प्रभावित भूमि का 15 प्रतिशत दर के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाना है। अतः संलग्न पत्रक अनुसार उक्त लाईन से तहसील पाटन के अंतर्गत आने वाले कुल 10 ग्राम केसरा, भनसुली, डगनिया, तेलीगुण्डरा, बोरीद, दरबारमोखली, कुर्मीगुण्डरा गब्दी, कुम्हली, भैसबोड़ की अनुमानित मुआवजा राशि का भुगताना 1,81,93,336.00/रू. (एक करोड ईक्यासी लाख तीरनबे हजार तीन सौ छत्तीस रूपये मात्र) इस कार्यालय में जमा करायें जाने का निवेदन की है अतः उक्त राशि जमा करावें। वास्तविक मुआवजा राशि का निर्धारण के पश्चात अंतर की राशि का समायोजन पावरग्रिड व राजस्व विभाग के मध्य देय होगा।

मुआवजा राशि इस न्यायालय के अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू–अर्जन अधिकारी पाटन के नाम से खाते में चेक/डीडी द्वारा या निम्न विवरण अनुसार (आर.टी.जी.एस.) द्वारा तत्काल जमा करावें, ताकि संबंधित भू–स्वामियों को मुआवजा राशि का भुगतान कार्य पूर्ण होने के पश्चात किया जा सकें।

RTGS भुगतान हेतु विवरण :–

Name	:-	SDO (R.) Patan
Name of bank	:-	SBI Patan
A/C NO.	:-	33812075639
IFSC NO.	:-	SBIN0010836

सहपत्र :– उपरोक्तानुसार

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं भू–अर्जन अधिकारी
पाटन जिला–दुर्ग

क्र./ /प्र.02/अ.वि.अ./2019 पाटन, दिनांक /01/2019

प्रतिलिपि :–

कलेक्टर (भू–अर्जन शाखा) जिला दुर्ग की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं भू–अर्जन अधिकारी
पाटन जिला–दुर्ग

सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आपूर्ति दस्तावेज/अभिलेख की सत्य प्रतिलिपी/True Copy of the document/record supplied under RTI Act.

पंकज दलाल/Pankaj Dalal
जन सूचना अधिकारी/Public Information Officer
पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड/
Power Grid Corporation of India Ltd.
Western-Region-1

Annexure - III

!! कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी पाटन, जिला– दुर्ग, छत्तीसगढ़ !!

!!ज्ञापन!!

कमांक/2236 /प्र.02/अ.वि.अ./2020 पाटन, दिनांक10 .11.2020

प्रति,

मुख्य प्रबंधक
पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ
इंडिया लिमिटेड दुर्ग

विषयः– 800 के.वी. रायगढ़ पुगलूर विद्युत लाईन अंतर्गत टावर स्थापना व तार के नीचे प्रभावित होने वाले भूमि का मुआवजा राशि जमा करने बावत्।

———0———

विषयांतर्गत लेख है कि पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड दुर्ग द्वारा निर्माणाधीन 800 के.वी. रायगढ़ पुगलूर विद्युत लाईन में तहसील पाटन के अंतर्गत टावर स्थापना व तार के नीचे प्रभावित होने वाले कृषकों की भूमि का मुआवजा राशि प्रदाय किया जाना है। पूर्व में (अक्षरी एक करोड़ एक्यासी लाख तिरानबे हजार तीन सौ छत्तीस रूपये मात्र) राशि इस कार्यालय में जमा कराई गई है। उक्त राशि प्रभावित कृषकों को वितरित किया जा चुका है। वर्तमान में शेष कृषकों को अनुमानित मुआवजा राशि 4200000 (अक्षरी बयालिस लाख) रूपये वितरित किये जाने की आवश्यकता है।

अतः उक्त राशि अनुविभागीय अधिकारी रा. एवं भू–अर्जन अधिकारी पाटन के खाता कमांक 33812075639 में जमा कराकर वास्तविक मुआवजा राशि का निर्धारण के पश्चात् अंतर की राशि का समायोजन पावरग्रिड व राजस्व विभाग के मध्य देय होगा।

मुआवजा राशि इस न्यायायल के अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू–अर्जन अधिकारी पाटन के नाम से खाते में चेक/डी.डी. द्वारा या निम्न विवरण अनुसार (आर.टी.जी. एस.) द्वारा तत्काल जमा करावें, ताकि संबंधित भू–स्वामियों को मुआवजा राशि का भुगतान कार्य पूर्ण होने के उपरांत किया जा सके।

आर.टी.जी.एस. भुगतान हेतु विवरण–

1- Name	-	SDO (R.) PATAN
2- Name of Bank	-	SBI PATAN
3- A/C No.	-	33812075639
4- IFSC NO.	-	SBIN0010836

सहपत्रः– उपरोक्तानुसार।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं भू–अर्जन अधिकारी
पाटन, जिला– दुर्ग
पाटन, दिनांक10 .11.2020

पृ. कमांक/2235 /प्र.02/अ.वि.अ./2020

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर (भू–अर्जन शाखा) दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित्।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं भू–अर्जन अधिकारी
पाटन, जिला– दुर्ग

सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आपूर्ति
दस्तावेज/अभिलेख की सत्य प्रतिलिपी/True Copy
of the document/record supplied under RTI Act.
पंकज दलाल/Pankaj Dalal
जन सूचना अधिकारी/Public Information Officer
पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड/
Power Grid Corporation of India Ltd.
पश्चिम क्षेत्र-1/Western-Regiion-1
नागपुर/Nagpur

Scanned with CamScanner